Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 1 | May 2023 - October 2023 | pp. 17-22

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में महिला राजनीतिक सहभागिता

प्रियंका रानी

पी.जी.टी. राजनीति विज्ञान, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार
राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एन.आई.टी.-3, फरीदाबाद (हरियाणा)

शोध सारांश

भारतीय इतिहास के अध्ययन में यह बात सदैव अखरती रहेगी कि सामान्य इतिहास लेखन की ही तरह महिलाओं के योगदान को यथेष्ठ स्थान नहीं मिला है। महिलाओं को इतिहास में प्रेम, त्याग, करुणा, दया बलिदान की प्रतिमूर्ति तो कहा गया, लेकिन उसे कभी नेतृत्व के अवसर नहीं दिए गए। सामाजिक उपेक्षा के कारण ही महिलाएँ इतिहास में अपने यथोचित स्थान एवं सम्मान से वंचित रहीं। सामंतवादी परम्पराओं की जकड़न से राजस्थान प्रदेश का समाज ही नहीं अपितु राजनीति भी प्रभावित रही है और इस प्रभाव से प्रदेश का इतिहास भी ग्रसित रहा है। इसी कारण प्रदेश की शासन-राजनीति में महिला नेतृत्व उपेक्षित रहा। 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर स्थानीय राजनीति में ही नहीं मुख्य राजनीति में भी महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। पंचायतीराज के प्रत्येक स्तर पर महिला सहभागिता में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो रही है। महिलाएँ अपने लिए आरक्षित स्थानों पर ही नहीं सामान्य स्थानों से भी जीत दर्ज कर रही है। अर्थात महिलाएँ आरक्षित स्थानों से अधिक स्थानों पर निर्वाचित हो रही हैं। महिला राजनीतिक सहभागिता को स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता के अध्ययन के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है।

संकेताक्षर—*पंचायती राज व्यवस्था, राजनीतिक सहभागिता, निर्वाचित प्रतिनिधि*

प्रस्तावना

वर्तमान में महिलाएँ न केवल सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में ही नहीं वरन प्रशासनिक-राजनीतिक स्तर पर भी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका दृष्टिगत होने लगी है। प्रदेश की प्रथम महिला विधायक होने का गौरव (स्वर्गीय) श्रीमती यशोदा देवी को प्राप्त है, जिन्होंने प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र बांसवाड़ा से निर्वाचित होकर प्रथम विधानसभा की सदस्यता प्राप्त की। श्रीमती तारा भण्डारी को प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। प्रदेश की प्रथम महिला उप-मुख्यमंत्री डॉ. कमला बेनीवाल को 27 वर्ष की उम्र में राज्य की प्रथम महिला मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। श्रीमती सुमित्रा सिंह को प्रदेश विधानसभा (12वीं विधानसभा) की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। श्रीमती वसुन्धरा राजे को राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री (2003-2008) होने का गौरव प्राप्त है। पूर्व राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा पाटील को प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल (8 नवम्बर 2004 से 21 जून 2007) होने का गौरव प्राप्त है।[1] प्रदेश के शीर्ष राजनीतिक पदों पर महिलाएँ आसीन रही। प्रदेश राजनीति के शीर्ष पदों पर महिलाओं का आरोहण यद्यपि इस तथ्य की सैद्धान्तिक पुष्टि करता है कि प्रदेश में महिला राजनैतिक नेतृत्व अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है लेकिन यथार्थ के धरातल पर महिला राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति विचारणीय है।

पंचायती राज व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धति का मूल आधार है। गाँवों को उचित ढंग से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य पंचायती

व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है।[2] अतः स्थानीय स्तर विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। पंचायतीराज स्थानीय सार्वजनिक कार्यों से सम्बन्धित प्रशासन में जनता की सहभागिता की एक व्यवस्था है। भारतीय सन्दर्भ में यह एक ऐसी स्थानीय स्वशासी राज व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा अपने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का दायित्व वहन किया जाता है। पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्र में लोककल्याणकारी प्रशासन की आधारभूत इकाई है। ये संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर नागरिकों की राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनको राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीति में सहभागिता प्रदान करती है। राजनीतिक सहभागिता प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य शर्त है। जन सामान्य की राजनीतिक सहभागिता के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन असंभव है। भारत जैसे विस्तृत एवं विविधतापूर्ण राष्ट्र में राजनीति सहभागिता के एक समान प्रतिमान को कठोरता से लागू करना संभव नहीं था। अतः स्थानीय स्तर विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। वर्तमान में महिला राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं में महिला राजनीतिक सहभागिता अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र बन गया है।

राजनीतिक सहभागिता

राजनीतिक सहभागिता से अभिप्राय उन स्वैच्छिक क्रियाओं से है, जिनके द्वारा किसी समाज के सदस्य शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन-नीतियों के निर्माण में भाग लेते हैं। नीई तथा वर्बा के अनुसार राजनीतिक सहभागिता सामान्य व्यक्तियों की वे विधि सम्मत गतिविधियाँ हैं, जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन तथा उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है। अन्य शब्दों में राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक क्रिया है, जिसमें राजनीतिक सत्ता पर कारकों का चयन व उनकी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है।[3]

राजनैतिक गतिविधि में व्यक्ति प्रमुख होता है,[4] क्योंकि व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार ही राजनीतिक संस्थाओं के विकास को निर्धारित करता है। व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाशीलता लोकतांत्रिक संस्थाओं को पोषित करती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता का विशेष महत्त्व इस कारण होता है, क्योंकि अधिकांश राजनैतिक संस्थाओं के निर्माण एवं संचालन का कार्य नागरिकों द्वारा किया जाता है। नागरिक राजनैतिक पदधारकों का चयन करते हैं और राजनैतिक पदों को धारण कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान स्थानीय संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की संस्थाओं में नागरिकों की सहभागिता के प्रचुर अवसर प्रदान करता है। यद्यपि भारतीय महिलाओं को नागरिक के रूप में संवैधानिक आधार पर ये अवसर प्रारम्भ से ही प्राप्त है, किन्तु राजनैतिक निर्णयकारिता में महिलाओं की सहभागिता स्वतंत्रता के 70 दशक के बाद भी उल्लेखनीय रूप से नहीं हो पाई है।[5] भारतीय समाज के राजनीतिक पटल पर महिलाएँ आज भी उपेक्षित है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा अर्थात लोकसभा में महिला नेतृत्व मात्र 14 प्रतिशत (78) तथा राजस्थान प्रदेश विधानसभा में महिला नेतृत्व मात्र 12.5 प्रतिशत (25) है।[6] जो राजनीति में महिला सहभागिता की उपेक्षित स्थिति को इंगित करता है।

महिला सहभागिता एवं 73वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक

पंचायती राज के सन्दर्भ में महिला नेतृत्व एक नवीन आयाम है। ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व को उभारने में 73वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का विशेष योगदान है। यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर स्थानीय विकास में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक जीवन में बुनियादी परिवर्तन आया है। समाज में महिलाओं और कमजोर वर्गों में नेतृत्व उभरने लगा है।[7] 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलाएँ सभी स्थानीय स्वशासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होगी, जिसमें पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद) सभी स्तर शामिल है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। किसी पंचायती राज संस्था में जितने सदस्य इस वर्ग से होंगे, उनका एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। उदाहरण के लिये यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 9 है तो 3 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, लेकिन ये आरक्षित पद महिलाओं के कुल आरक्षित पदों में सम्मिलित माने जायेंगे।[8]

अन्य शब्दों में 73वाँ संविधान संशोधन (1993) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये सीटें आरक्षित होगी। यह सीटें पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जायेगी। ये सीट एक पंचायत में पदानुक्रम से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित की जायेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति-जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से न्यूनतम एवं तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। ये सीटें पदानुक्रम से एक पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षित की जायेगी।[9] इस प्रकार यह संशोधित विधेयक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर सत्ता में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करता है।

पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता: राजस्थान परिदृश्य

भारतीय संविधान के 72वें संशोधन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाकर 23 अप्रैल, 1994 में सम्पूर्ण राजस्थान में प्रभावशील कर त्रि-स्तीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापित की गई।[10] इस अधिनियम में प्रत्येक पंचायत सर्किल (लगभग 3000 जनसंख्या) पर एक ग्राम पंचायत का प्रावधान है, जिसका गठन पंचायत क्षेत्र में मतदाता सीधे निर्वाचन द्वारा करते हैं। सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक पंच का निर्वाचन होता है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सदस्यता का प्रावधान है। पिछड़ी जातियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित होते हैं। कुल के एक तिहाई स्थान महिलाओं (अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं को शामिल करते हुए) के लिए आरक्षित होते हैं। सरपंच पद को क्रमावर्तन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।[11]

अधिनियम में एक विकास खण्ड के लिए पंचायती राज के मध्य स्तर के रूप में एक पंचायत समिति का प्रावधान है जिसके गठन हेतु सदस्यों का निर्वाचन खण्ड क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। कुल के एक तिहाई स्थान महिलाओं (अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं का शामिल करते हुए) के लिए आरक्षित होते हैं। पंचायत समिति के प्रावधानों के पद क्रमावर्तन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं।[12] प्रत्येक जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था के रूप में एक जिला परिषद का प्रावधान है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह ही जिला परिषद में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। सम्पूर्ण राज्य में जिला प्रमुखों के जितने स्थान हैए वे क्रमावर्तन से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित होते हैं।[13] इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद) पर महिला सहभागिता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अति महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता ना सिर्फ उनकी राजनीतिक सहभागिता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित करती है बल्कि उनके विकास संबंधी उद्देश्यों को भी कार्यान्वित करती है।[14]

पंचायतों में महिला मतदाता

पंचायत आम चुनाव 2021 में प्रदेश की 11,319 ग्राम पंचायतों में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 3,79,46,554 रही, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,97,64,761 व महिला मतदाताओं की संख्या 1,81,81,644 तथा थर्ड जेंडर की संख्या 149 रही।[15]

पंचायतों में महिला आरक्षण व्यवस्था

वर्ष 2008 में गहलोत सरकार द्वारा पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में रोक लगा दी और 19 मई 2000 को सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद नगरपालिका चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया लेकिन पंचायतीराज विभाग ने पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन नहीं किया और कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं को पंचायती राज निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।[16]

वर्ष 2015 में प्रदेश के 33 जिलों की कुल 9875 ग्राम पंचायतों में से महिला आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 4780 रही। जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 2412, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 810, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 912 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 646 रही।[17] पंचायती राज चुनाव 2021 के अनुसार प्रदेश के 33 जिलों की कुल 11,320 ग्राम पंचायतों में से महिला आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 5496 रही। जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 2731 अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 900, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 1131 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 734 रही।[18]

ग्राम पंचायतों में वर्गवार निर्वाचित महिला सरपंच

पंचायत आम चुनाव 2021 में राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों की कुल 11311 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित 11311 सरपंचों में से महिला सरपंचों की संख्या 6225 रही। जिसमें सामान्य वर्ग से 1030, अनुसूचित जाति से 1095, अनुसूचित जनजाति से 1517 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 2583 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। यदि प्रदेश के प्रत्येक जिले में वर्गानुसार निर्वाचित महिला सरपंचों की स्थिति का अध्ययन किया जाये तो ज्ञात होता है कि अजमेर जिले की 325 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों (325) में महिला सरपंचों की संख्या 174 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 35, अनुसूचित जाति से 29, अनुसूचित जनजाति से 04 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 106 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। अलवर जिले की 573 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 318 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 47, अनुसूचित जाति से 53, अनुसूचित जनजाति से 36 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 182 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बांसवाड़ा जिले की 417 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 250 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 0, अनुसूचित जाति से 0, अनुसूचित जनजाति से 250 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 0 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बारां जिले की 235 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 122 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 17, अनुसूचित जाति से 21, अनुसूचित जनजाति से 39 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 45 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बाड़मेर जिले की 689 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 394 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 97, अनुसूचित जाति से 72, अनुसूचित जनजाति से 20 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 205 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। भरतपुर जिले की कुल 404 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 236 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 31, अनुसूचित जाति से 47, अनुसूचित जनजाति से 05 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 153 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। भीलवाड़ा जिले की 395 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 213 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 40, अनुसूचित जाति से 43, अनुसूचित जनजाति से 23 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 107 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बीकानेर जिले की 367 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 217 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 49, अनुसूचित जाति से 57, अनुसूचित जनजाति से शून्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 111 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। बूंदी जिले की 184 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 96 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 10, अनुसूचित जाति से 19, अनुसूचित जनजाति से 37 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 30 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। चित्तौड़गढ़ जिले की 299 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 158 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 32, अनुसूचित जाति से 22, अनुसूचित जनजाति से 24 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 80 महिला सरपंच निर्वाचित हुई। चूरू जिले की 304 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 174, रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 49, अनुसूचित जाति से 42, अनुसूचित जनजाति से 01 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 82 रही। दौसा जिले की 283 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 158 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 16, अनुसूचित जाति से 36, अनुसूचित जनजाति से 65 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित सरपंचों की संख्या 41 रही। धौलपुर जिले की 191 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 106 रही, जिसमें सामान्य वर्ग 27, अनुसूचित जाति से 23, अनुसूचित जनजाति से 09 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 47 रही।

डूंगरपुर जिले की 353 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 195 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 0, अनुसूचित जाति से 0, अनुसूचित जनजाति से 195 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या शून्य रही। हनुमानगढ़ जिले की 269 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 141 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 15, अनुसूचित जाति से 42, अनुसूचित जनजाति से शून्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 84 रही। जयपुर जिले की 600 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 316 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 52, अनुसूचित जाति से 61, अनुसूचित जनजाति से 54 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 149 रही।

जैसलमेर जिले की 206 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 115 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 45, अनुसूचित जाति से 17, अनुसूचित जनजाति से 08 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 45 रही। जालोर जिले की 307 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 172 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 58, अनुसूचित जाति से 35, अनुसूचित जनजाति से 18 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 61 रही। झालावाड़ जिले की 254 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 137 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 16, अनुसूचित जाति से 24, अनुसूचित जनजाति से 26 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 71 रही। झुंझुंनू जिले की 288 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 158 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 20, अनुसूचित जाति से 27, अनुसूचित जनजाति से 03 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 108 रही।

जोधपुर जिले की 627 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 336 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 94, अनुसूचित जाति से 60, अनुसूचित जनजाति से 07 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 175 रही। करौली जिले की 243 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 145 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 14, अनुसूचित जाति से 32, अनुसूचित जनजाति से 67 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 32 रही। कोटा जिले की 158 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 82 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 19, अनुसूचित जाति से 21, अनुसूचित जनजाति से 18 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 24 रही। नागौर जिले की 500 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 269 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 43, अनुसूचित जाति से 60, अनुसूचित जनजाति से शून्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 166 रही। पाली जिले की 341 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 179 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 47, अनुसूचित जाति से 38, अनुसूचित जनजाति से 19 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 75 रही। प्रतापगढ़ जिले की 235 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 132 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 0, अनुसूचित जाति से 0, अनुसूचित जनजाति से 132 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 0 रही।

राजसमन्द जिले की 211 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 107 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 33, अनुसूचित जाति से 12, अनुसूचित जनजाति से 17 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 45 रही। सवाई माधोपुर जिले की 225 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 124 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 12, अनुसूचित जाति से 27, अनुसूचित जनजाति से 55 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 30 रही। सीकर जिले की 374 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 211 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 29, अनुसूचित जाति से 36, अनुसूचित जनजाति से 10 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 136 रही। सिरोही जिले की 171 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 90 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 21, अनुसूचित जाति से 16, अनुसूचित जनजाति से 37 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 16 रही। श्री गंगानगर जिले की 345 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 188 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 22, अनुसूचित

जाति से 85, अनुसूचित जनजाति से शून्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 81 रही।

टोंक जिले की 236 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 125 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 16, अनुसूचित जाति से 28, अनुसूचित जनजाति से 28 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 53 रही। उदयपुर जिले की 652 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों में महिला सरपंचों की संख्या 358 रही, जिसमें सामान्य वर्ग से 20, अनुसूचित जाति से 05, अनुसूचित जनजाति से 310 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 23 रही।[19]

निष्कर्ष

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर महिला आरक्षण की व्यवस्था से महिला नेतृत्व को प्रबल प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। पंचायतीराज के प्रत्येक स्तर पर महिला सहभागिता में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो रही है। पंचायतीराज आम चुनाव 2021 में राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों की कुल 11311 ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित 5496 ग्राम पंचायतों के विपरित निर्वाचित महिला सरपंचों की संख्या 6225 रही। अर्थात महिलाओं ने अपने लिए आरक्षित स्थानों से अधिक ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण की व्यवस्था मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना को पूर्ण करने का स्थानीय प्रयास है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता में संख्यात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक वृद्धि भी हुई है। अब महिला प्रतिनिधि औपचारिक प्रतिनिधि नहीं है बल्कि वे अपने दायित्वों का सफल निर्वहन कर रही है।

सन्दर्भ सूची

1. मौर्य, शैलेन्द्र, महिला नेतृत्व एवं महिला विकास, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर, 2011, पृ.सं. 73
2. पुरोहित, विनीता, पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिताः राजस्थान परिदृश्य, शोध संकल्प समीक्षा, वॉ. 2, अंक 3, वर्ष 2022, पृ.सं. 10
3. मौर्य, शैलेन्द्र, तेरहवीं राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2008 में महिला सहभागिता, लोकतंत्र समीक्षा, खण्ड-43, अंक-1-2, जनवरी-जून 2011, पृ.सं. 59-60
4. कुशवाहा, कुसुम, राजनैतिक सहभागिता-महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम, योजना, वर्ष 47, अंक 12, मार्च 2004, योजना भवन, नई दिल्ली, पृ.सं. 17
5. कुशवाहा, कुसुम, नोट-4, पृ.सं. 17-18
6. 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 78 है तथा 15वीं राजस्थान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 25 है।
7. महावर, सुनील एवं मौर्य, शैलेन्द्र, पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व का जातिगत विश्लेषण, माथुर, पी.सी. एवं शर्मा, रविन्द्र (संपा) भारत में पंचायती राज निर्वाचन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2013, पृ.सं. 275
8. व्यास, आशा, पंचायती राज में महिलाएँ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012, पृ.सं. 40
9. पूरणमल, नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2020, पृ.सं. 19
10. उपर्युक्त, पृ.सं. 23
11. मिश्र, निरंजन, भारत में पंचायती राज, परिबोध, जयपुर, 2006, पृ.सं. 233
12. उपर्युक्त, पृ.सं. 236
13. उपर्युक्त, पृ.सं. 238-239
14. व्यास, आशा, पूर्वोक्त, पृ.सं. 40-41
15. प्रतिवेदन, पंचायत आम चुनाव 2021 (ग्राम पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर, सितम्बर 2021, पृ.सं. 128
16. आनन्द, लोकेश प्रसाद, महिलाओं को 33 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत ... 27 जनवरी, 2015, दैनिक भास्कर, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट भास्कर डॉट कॉम
17. डिस्टिक वाइज स्टेटमेन्ट सोइंग कैटेगरी ऑफ पंचायत, रिपोर्ट ऑन पंचायत जनरल इलेक्शन 2015 (राजस्थान) वाल्यूम-3 (ग्राम पंचायत) स्टेट इलेक्शन कमिशन, राजस्थान, जयपुर, पृ.सं. 3
18. प्रतिवेदन, पंचायत आम चुनाव 2021 (ग्राम पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर, सितम्बर 2021, पृ.सं. 119
19. जेंडर ऐंड केटगरी वॉयज इलेक्टेड केन्डीडेट्स (सरपंच) पृष्ठ 183-190, प्रतिवेदन, पंचायत आम चुनाव 2021 (ग्राम पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर, सितम्बर 2021